राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम /2018–19/ 10782 दिनांक 17/1/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान
जिला जयपुर।

विषय :– माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है तथा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार की बाल सभा को विद्यालयों में आनन्दायी शनिवार के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार **जयपुर जिले के राजकीय विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को आवश्यक रूप से बाल सभा का आयोजन किया जाना है।** प्रत्येक शनिवार को बाल सभा आयोजन के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें–

- **आयोजक** :– बाल सभा के आयोजन की समस्त जिम्मेदारी संबधित संस्थाप्रधान की होगी एवं आयोजन में प्रारम्भिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
- **सहभागिता** :– शनिवारीय बाल सभा में **कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं की सहभागिता** रहेगी।
- **समय** :– **शनिवारीय बाल सभा का आयोजन माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोडकर शेष शनिवार को प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर** अंतिम 2 कालांश अर्थात् 80 मिनट में ही किया जायेगा। **बाल सभा आयोजन 60 मिनट का होगा** एवं 20 मिनट में आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था की सुनिश्चितता की जाये।

  माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को मध्यान्ह पश्चात प्रथम दो कालांश में आनन्ददायी शनिवार की गतिविधियां एवं अंतिम दो कालांश में सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा का आयोजन किया जायेगा।
- **स्थान** :– बाल सभा का आयोजन **विद्यालय के संबंधित गाँव/ढाणी के सुरक्षित एवं सार्वजनिक स्थान पर** किया जावे जहां ग्रामीण जनों/अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक स्थल पर **छात्र–छात्राओं को सुरक्षित पहुंचाने एवं पुनः विद्यालय तक लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान व शिक्षकों की होगी।**

www.rajteachers.com

सुझावात्मक गतिविधियाँ :— बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है—

अभिव्यक्ति कौशल :- ▪ वाद—विवाद ▪ संस्कृत श्लोक वाचन ▪ बोलनाः गीत, कविता, लोकगीत, कहानी आदि ▪ नृत्य ▪ लिखनाः कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख ▪ अविस्मरणीय घटना सुनाना ▪ नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय, ▪ अन्त्याक्षरी ▪ महापुरुषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन	**सृजनात्मक कौशल :-** ▪ कबाड़ से जुगाड़, ▪ रंगोली, चित्रों में रंग भरना आदि ▪ विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने (मिट्टी, कपड़े, लकड़ी कागज आदि) का प्रदर्शन। ▪ मॉडल एवं चार्ट निर्माण ▪ भित्ति पत्रिका निर्माण
चिंतन, तार्किक कौशल :- ▪ पहेलियाँ हल करना ▪ विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन ▪ क्विज एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ▪ सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी	**सामुदायिक कौशल :-** ▪ पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/बैक कर्मी आदि की बारी—बारी से वार्ता कराना। ▪ दैनिक कामगार— बढ़ई/ कुम्हार/ कारीगर/ किसान/ सुनार/ लुहार/ पेंटर/ दुकानदार आदि से उनके काम के बारे में जानना। ▪ संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन ▪ राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्बोधन
सामाजिक, संवेदनशीलता कौशल :- ▪ आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन ▪ Motivational videos ▪ Gender Based video (Good touch, Bed touch) ▪ बाल संरक्षण से संबंधित पीपीटी, वीडियो ▪ चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियाँ ▪ वन एवं पर्यावरण क्लब ▪ रोड़ सेफ्टी क्लब ▪ मीना, राजू मंच की गतिविधियाँ ▪ पेड़—पौधे लगाना एवं सुरक्षा	**शारीरिक कौशल :-** ▪ लम्बीकूद, ऊँची कूद ▪ विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा—कुर्सी दौड़,चम्मच दौड़, तीन टांग दौड, बोरी दौड़ इत्यादि ▪ रूमाल झपट्टा, सतोलिया आदि ▪ कबड्डी, खो—खो, बालीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, इत्यादि। ▪ इन्डोर गेम।

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य वे गतिविधियां जो विद्यालय/अभिभावकों द्वारा सुझायी जायें।

www.rajteachers.com

बाल सभा आयोजन का विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही किया जावें तथा आयोजन में विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार ना हो, इसका ध्यान रखा जावे। बाल सभा आयोजन में आवश्यकता होने पर विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट ग्रान्ट का उपयोग अथवा ग्रामवासियों/अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से कोई सहयोग लिया जा सकता है।

17-1-2019

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद
जयपुर

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम /2018–19/ 10783 दिनांक 17/1/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
5. निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर।
6. निदेशक सीमेट, जयपुर।
7. निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
8. आयुक्त MDM, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–I/II राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. उपायुक्त समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, जयपुर।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारं/माध्य. शिक्षा, जयपुर।
14. प्राचार्य डाइट, गोनेर, जयपुर।
15. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, जिला जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

17-1-2019

आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा
परिषद, जयपुर

www.rajteachers.com